न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 313 सन 2018
अनवान :–

1. अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह जाति रायसिख साकिन चक 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री हवासिह अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :–01/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 के प0न0 306/386 (60) के किला न0 12 ता 14/0.759 , 16/0.2277 ,17 ता 19/0.759 ,22/0.253 ,23 ,24/0.506 ,25/0.2277हैक ,प0न0 306/387(67) के किला न0 2 ता 5/0.9108है कुल 3.6432हैक भूमि वादी बहिब 1/5 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का नाम वाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वाद भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से सजनसिह पुत्र भगवनसिह दर्ज हो गया है जो गलत है वादी का वास्तविक व सही नाम अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह है जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड , बैक की पास बुक , पेन कार्ड , सभी में अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नही उठा पा रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 के प0न0 306/386 (60) के किला न0 12 ता 14/0.759 , 16/0.2277 ,17 ता 19/0.759 ,22/0.253 ,23 ,24/0.506 ,25/0.2277हैक ,प0न0 306/387(67) के किला न0 2 ता 5/0.9108है कुल 3.6432हैक भूमि वादी बहिब 1/5 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का नाम वाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वाद भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से सजनसिह पुत्र भगवनसिह दर्ज हो गया है जो गलत है वादी का वास्तविक व सही नाम अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह है जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड , बैक की पास बुक , पेन कार्ड , सभी में अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नही उठा पा रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 की कुल 3.6432हैक भूमि में वादी का नाम सजनसिह पुत्र भगवानसिह के स्थान पर अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 की कुल 3.6432हैक भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम सजनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह के स्थान पर सजनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज किया गया है सही नाम अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी के नाम अर्जनसिह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत रतनुपरा के अनुसार भी सजनसिह एवं अर्जनसिह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम अर्जनसिह है वादी का सही नाम अर्जसिह होना प्रतित होता है।

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 की कुल 3.6432हैक भूमि में सजनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज है के स्थान पर अर्जनसिह उर्फ सजनसिह पुत्र भगवानसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. अर्जनसिह पुत्र भगवानसिह जाति रायसिख साकिन चक 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 313 सन 2018 निर्णय दिनांक– 1/1/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 136/112 की कुल 3.6432हैक भूमि में सजनसिह पुत्र भगवानसिह दर्ज है के स्थान पर अर्जनसिह उर्फ सजनसिह पुत्र भगवानसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)